न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 111/14 (धारा 75 भू राजस्व अधि01956) (RCMS No.2014/00086)

1. तेजसिंह
2. प्रेमसिंह
3. ईश्वर सिंह

पिसरान श्री दर्यावसिंह जाति जाट निवासी ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. वीरेन्द्रसिंह पुत्र मोती
2. समरवीरसिंह
3. रिपूसदन सिंह
4. पवन कुमार

पिसरान खिलौना सिंह

5. सुशीलादेवी वेवा खिलौना सिंह

जाति जाट निवासी ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर

6. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार भरतपुर तहसील।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उप जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 18.07.2014 उनवानी प्रकरण संख्या 58/2012 तेजसिंह बनाम वीरेन्द्र सिंह वगैराह। (अन्तर्गत धारा 136/369 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थितिः–

1. श्री मोहनसिंह राना वकील अपीलान्ट।
2. प्रमोद कुमार उपमन वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 07.11.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उप जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 18.07.2014 के विरूद्ध अदालत हाजा में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 सहपठित नियम 369 भू राजस्व अधिनियम 1957 के तहत इस आशय की पेश की थी कि भू प्रबन्ध एवं भू अभिलेख अधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.88 के द्वारा प्रार्थीगण/अपीलान्ट के खाते में आराजी खसरा नंबर 1910 रकबा 26 एयर एवं अप्रार्थीगण के खाते में खसरा नंबर 1905 रकबा 25 एयर दर्ज किया जावे, लेकिन बन्दोबस्त समाप्ति के बाद अप्रार्थीगण/रैस्पोडेन्ट के खाते में अंकित किये जाने वाला रकबा 25 एयर प्रार्थीगण के खसरा नंबर 1910 में दर्ज कर दिया और प्रार्थीगण के खाते में दर्ज किये जाने वाला रकबा 26 एयर अप्रार्थीगण के खसरा नंवर 1905 में दर्ज कर दिया गया। जवकि वंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों को भू प्रवंध अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 07.09.88 के अनुसार ही प्रार्थीगण/अपीलान्ट व अप्रार्थीगण/रैस्पोडेन्ट के खसरा नंबर में रकबा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दर्ज करना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2014 के द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से श्री प्रमोद कुमार उपमन एडवोकेट उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि उपजिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2014 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व लैन्ड रिकार्ड रूल्स की धारा 369 के तहत भू प्रबंध अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 07.09.88 की पालना कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। निर्णय दिनांक 07.09.88 में यह निर्देश दिए गए थे कि अपीलान्टान के साविक खसरा नंबर 1365 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा का हाल खसरा नंबर 1910 रकबा 23 एयर की बजाय 26 एयर व रैस्पोडेन्ट के साविक खसरा नंबर 1366 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा का हाल नंबर 1905 रकबा 28 एयर की बजाय 25 एयर दर्ज किया जावे। लेकिन राजस्व रिकार्ड में निर्णय दिनांक 07.09.88 के अनुरूप दर्ज नहीं किये जाने पर अपीलान्ट की ओर से उपरोक्त आदेश की पालना कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2014 में पोषणीय नहीं मानते हुए गलत रूप से खारिज किया है। अदालत मातहत में अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को आर.आर.डी. 1990 पेज 441 पर वर्णित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि में नहीं आने के आधार पर खारिज किया है। जबकि उक्त नजीर में वर्णित सिद्धान्त अपीलान्ट के प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 जो कि 1995 में संशोधित की गई है के अनुसार इस धारा के अधीन लिपिकीय त्रुटि देखी जाएगी। भू–प्रबंध अधिकारी व भू–अभिलेख अधिकारी के निर्णय दिनांक 07.09.88 की पालना नहीं करना एक लिपिकीय त्रुटि है। जिसकी पूर्ण करने की जिम्मेदारी अधीनस्थ न्यायालय की है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि आर.आर.डी. 1997 पेज 504, 2009 आर.आर.डी. पेज 456 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उपखण्ड अधिकारी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सुनवाई किये जाने हेतु सक्षम माना गया है। इसी प्रकार आर.बी.जे. (20) 2013 पेज 46 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि भू प्रबंध संबंधी कार्यवाही के दौरान की गई त्रुटि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत उदघोषणात्मक खातेदारी का दावा प्रस्तुत करने के साथ–साथ भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्त करवाया जा सकता है। इसी तरह आर.बी.जे. (22) 2015 पेज 34 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि यदि भू प्रबंध के दौरान काश्तकार की खातेदारी की भूमि के अंकन व नक्शे को बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना इन्द्राज बदल दिए गए हैं तो ऐसे इन्द्राज की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दुरूस्ती धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से की जा सकती है। इसके बावजूद अदालत मातहत में गलत विवेचन कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कमीवेशी रकबा का होना मानने में कानूनी त्रुटि की है। जबकि आदेश दिनांक 07.09.88 की पालना रिकार्ड में कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका अनुचित लाभ रैस्पोडेन्ट द्वारा लिया जा रहा है। अदालत मातहत में अपीलाधीन निर्णय में आर.आर.डी. 2008 पेज 34 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त को भी अपीलान्ट के प्रकरण में लागू होना माना है। जबकि उक्त नजीर में वर्णित सिद्धान्त अपीलान्ट के प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अदालत मातहत ने सी. पी.सी. की धारा 10 व 11 के प्रावधानों का अपीलान्ट के प्रकरण में चस्पा करने में कानूनी त्रुटि की है, क्योंकि पूर्व में पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के संबंध में कोई अधिकार निर्णित नहीं किये गये थे। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2014 त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2014 निरस्त किया जावे व भू–प्रबंध अधिकारी व भू–अभिलेख अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 07.09.88 की पालना किये जाने के निर्देश दिए जावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन नहीं कर भू–प्रबन्ध अधिकारी व भू–अभिलेख अधिकारी की ओर से पारित किये गये निर्णय की पालना करवाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि भू–राजस्व अधिनिय 1956 की धारा 136 के तहत पोषणीय नहीं होने के आधार पर अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2014 के द्वारा सही खारिज किया गया। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अथवा भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा भू प्रबन्ध संबंधी कार्यवाही के दौरान न तो किसी का रकबा बढ़ाया जा सकता है और न ही कम किया जा सकता है। वरन् पुरानी प्रविष्टि व रकबे के आधार पर ही राजस्व रिकार्ड तैयार किये जाने का दायित्व है। अपीलान्ट की ओर से भू–प्रबन्ध अधिकारी व भू–अभिलेख अधिकारी के न्यायालय में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके संबंध में निर्णय दिनांक 07.09.88 पारित होना बताया है। दोबारा अपीलान्ट की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि सी.पी.सी. की धारा 11 के तहत रैसज्यूडिकेटा में आने के कारण अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र सही खारिज किया गया है। इसके अलावा धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि को तब ही दुरूस्त किया जा सकता है, जबकि दोनों पक्ष सहमत हों। यदि दोनों पक्ष सहमत नहीं हो तो इसके लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि सी.पी.सी. की धारा 10–11 ऐसे प्रकरणों को बाधित करती है, जहां समान पक्षकारों व समान आराजी के मध्य पूर्व में निर्णय पारित हो गया। उन प्रकरणों में पुनः उन्ही पक्षकारों व उसी आराजी पर पुनः दावे नहीं किये जा सकते। अदालत मातहत के उक्त अभिमत में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। इसी प्रकार अपीलान्ट

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

7.11.20

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

की ओर से भू–प्रबन्ध अधिकारी व भू–अभिलेख अधिकारी की ओर से पारित आदेश दिनांक 07.09.88 के विरूद्ध लगभग 20 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसको विलम्ब से पेश किये जाने का कोई कारण अपीलान्ट की ओर से नहीं बताया गया। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं, क्योंकि उपरोक्त नजीरों में वर्णित तथ्य अदालत हाजा में लम्बित अपील के तथ्यों से भिन्न हैं। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में न तो साविक व हाल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस आदि की प्रति प्रस्तुत की और न ही मिलान क्षेत्रफल ही पेश किया। चूंकि अदालत मातहत की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.09.88 गुणावगुण के आधार पर स्पष्ट व स्पीकिंग पारित किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2014 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के साथ–साथ लैण्ड रूल्स की धारा 369 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अतः वकील रैस्पोडेन्ट का यह तर्क कि अपीलान्ट की ओर से भू–राजस्व 1956 की धारा 136 के तहत दोबारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, गलत है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया था कि भू–प्रबन्ध अधिकारी की ओर से पारित निर्णय की पालना सही रूप से नहीं किये जाने के कारण निर्णय अनुसार पालना करवाई जाए। राजस्थान लैण्ड रिकार्डस रूल्स 1957 के नियम 369 में उपखण्ड अधिकारी को इस तरह की कार्यवाही किये जाने के अधिकार प्रदत्त किये हुए हैं। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2014 निरस्त किया जावे तथा भू प्रबन्ध अधिकारी व भू–अभिलेख अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 07.09.88 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि किये जाने के आदेश दिये जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में एल.आर.एक्ट की धारा 136 व लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 369 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भू प्रवन्ध एवं भू–अभिलेख अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 07.09.88 के अनुसार अप्रार्थीगण/रैस्पोडेन्ट के खसरा नंबर 1905 में अंकित रकबा 26 एयर प्रार्थीगण/अपीलान्ट के खसरा नंबर 1910 में दर्ज किये जाने व प्रार्थीगण के खसरा नंवर 1910 में अंकित रकबा 25 एयर अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 1905 में दर्ज किये जाने की इस्तदुआ चाही थी। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी/रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये जवाब व उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2014 को पारित किया है। उक्त निर्णय में विद्वान उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने यह माना है कि पत्रावली पर उपलब्ध नकल निर्णय भू–प्रबन्ध एवं भू–अभिलेख अधिकारी के निर्णय दिनांक 07.09.88 के अनुसार उक्त प्रथम अपील सहायक भू–प्रवन्ध अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 29.10.82 के विरूद्ध तेजसिंह वगैराह जो प्रकरण के प्रार्थीगण हैं, के द्वारा अप्रार्थीगण राजपाल, मोती आदि को पक्षकार बनाकर पेश की थी। भू–प्रबन्ध अधिकारी की ओर से पारित आदेश का

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कियान्वयन राजस्व अभिलेख में नहीं होने के कारण एल.आर.एक्ट. की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि सी.पी.सी. की धारा 10–11 ऐसे प्रकरणों को बाधित करती है। जहां समान पक्षकारों व समान आराजी के मध्य पूर्व में निर्णय पारित हो गया हो। उन प्रकरणों में पुनः उन्हीं पक्षकारों व उसी आराजी पर पुनः दावे नहीं किये जा सकते। प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 07.09.88 के विरूद्ध अपील करने को प्रार्थीगण स्वतंत्र हो सकते हैं, परन्तु पुनः समान अधिकारिता वाले न्यायालय में समान आराजी व समान पक्षकारों के मध्य पुनः धारा 136 एल.आर.एक्ट. का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता। निर्णय दिनांक 07.09.88 के 26 वर्ष बाद तथा सैटलमेन्ट ऑपरेशन बन्द होने के बाद रकबा में कमीवेशी के लिए धारा 136 एल.आर.एक्ट. का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उक्त निर्णय में तहसीलदार भरतपुर की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 23.07.2010 का भी उल्लेख किया है। जिसके अनुसार हाल खसरा नंबर 1910/0.25 है0 में 0.01 की वृद्धि कर दुरूस्ती संभव नहीं है। हाल खसरा नंबर 1910/0.25 है0 मौका अनुसार पूर्ण है। पड़ोसी खेतों का रकबा मिलान करने पर रकबा कमीवेशी नहीं होता है। उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय में आर.आर.डी. 1990 पेज 441 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए यह माना है कि सैटलमेन्ट समाप्ति के बाद उप जिला कलक्टर को 136 एल.आर.एक्ट. रकबा कमीवेशी का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार आर.आर.डी. 2008 पेज 34 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए यह भी माना है कि सैटलमेन्ट समाप्ति के बाद पीडित पक्षकार के पास एकमात्र उपचार सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश करना है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा इस आधार पर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 सहपठित धारा लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 नियम 369 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत गलतियों का शुद्धिकरण किया जा सकता है। जिसके अनुसार भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को वीहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उक्त प्रावधान के तहत पूर्व में ही कार्यवाही की जा चुकी है। जहां तक राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 369 का प्रश्न है तो उक्त नियम में यह प्रावधान है कि उपखण्ड अधिकारी कलक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सब–डिवीजन के नक्शों तथा अभिलेखों को सही रूप से रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। इसे अधिकार है कि उसके समक्ष रखे गए विवादग्रस्त नामान्तकरण व स्थानान्तरणों के मामलों में परिवर्तन की आज्ञा दे सके। कर्मचारियों पर देखरेख रखने के अतिरिक्त उसको इस बात को देखने के लिए सावधानी रखनी चाहिए कि उसके द्वारा दी गई आज्ञाएं स्पष्ट और सही हैं। उसका पालन किया गया है। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त नियम के तहत किस तरह आएगा। इस संबंध में न तो अदालत मातहत में

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

7.11.2011

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

और न ही अदालत हाजा में स्पष्ट किया गया है। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीरें आर.आर.डी. 2009 पेज 456, आर.बी.जे. (22) 2015 पेज 34 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु नजीरों में वर्णित तथ्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आर.बी.जे. (20) 2013 पेज 46 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त भी उल्लेखनीय है। जिसके अनुसार भू–प्रवन्ध संवंधी कार्यवाही के दौरान की गई गलतियों की दुरूस्तीयों के संवंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत उद्घोषणात्मक दावा किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से धारा 136 के प्रावधान के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाए जाने का आदेश भू–प्रबन्ध अधिकारी व भू–अभिलेख अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर पूर्व में ही करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत की ओर से अपीलाधीन निर्णय में वर्णित नजीर आर.आर.डी. 2008 पेज 34 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी सक्षम न्यायालय में वाद पेश करना ही एकमात्र उपचार अपीलान्ट प्रार्थी के पास उपलब्ध है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2014 में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर